6

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/एल– 202/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० रिफत मोखतार, विशषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखंड, बिहारशरीफ, नालन्दा के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक–01.09.2026 से 27.02.2027 तक कुल–180 दिन तक उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/एल– 202/2026– 2285(2) पटना, दिनांक 29/9 / 2026

प्रतिलिपि:महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखड, बिहारशरीफ, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालन्दा/डा० रिफत मोखतार, विशषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखड, बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव